(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1619–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–3–2016 पारित द्वारा तहसीलदार, नया हरसूद जिला खण्डवा, प्रकरण कमांक 6/अ–70/2013–14.

1–शुकन्तला बेवा रामनारायण शर्मा,
2–हरिहर आ0रामनारायण शर्मा,
3–संजय आ0रामनारायण शर्मा,
सभी निवासी ग्राम गंभीर तहसील नया हरसूद,
जिला खण्डवा
हाल निवासी खिरकिया तहसील खिरकिया,
जिला हरदा म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

बिरदीचंद आ0 मोहनलाल अग्रवाल,
निवासी श्रीनगर कॉलोनी खण्डवा
तहसील व जिला खण्डवा .....अनावेदक

श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/12/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, नया हरसूद जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–03–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार वृत्त किल्लौद के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की ग्राम गंभीर उबारी स्थित भूमि सर्वे कमांक 350 रकबा 2.59 हेक्टेयर है । अनावेदक खण्डवा में निवास कर रहा है और वह अपनी भूमि पर काश्त नहीं करता है, इसका लाभ उठाकर आवेदकगण द्वारा उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है,

अतः प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–70/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण के द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–03–16 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करते हुये प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा है और इतने अत्यधिक लम्बे समय से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा है और इसकी जानकारी अनावेदक को नहीं हो, यह अविश्वसनीय है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत 2 वर्ष के भीतर कब्जा वापिस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था, जबकि आवेदकगण का 50 वर्ष से कब्जा है अतः अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्पष्टतः अवधि बाह्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र 2 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त किया गया है, जबकि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये कोई समय सीमा नहीं है और कभी भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनोवदक जब अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने गया तब उसे आदेश की जानकारी हुई, अतः उसके द्वारा जानकारी की दिनांक से 2 वर्ष की समय सीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है और जहॉ आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वह साक्ष्य से प्रश्नाधीन भूमि पर 50 वर्षो से कब्जा होना प्रमाणित कर सकता है । इस स्तर पर तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किया जाना उचित नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय से अनावेदक के पक्ष में नामांतरण का आदेश होने के पश्चात उसके द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो कि स्पष्टतः समय–सीमा में मान्य किया जायेगा । अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, नया हरसूद जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–03–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर